**फैक्स**

**संख्या–यू0ओ0–129/आठ–1–06**

प्रेषक,

**के0 एल0 मीना**
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष,**
गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा मुरादाबाद,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1** **लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2006**

**विषय : उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप का विकास करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम का चयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2712/8–1–05 दिनांक 21 मई, 2005 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च स्तरीय समिति के निमार्ण के आधार पर विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम का चयन सम्बन्धित जनपदों में टाउनशिप के विकास हेतु किया जा चुका है। इसी क्रम में राजस्व अनुभाग–13 द्वारा अपने शासनादेश संख्या–यू.ओ.–27/1–13–2006–रा0–13 दिनांक 3–3–2006 द्वारा हाईटेक नीति के अनुरूप इस आशय के निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि विकासकर्ता कम्पनी द्वारा भू–अर्जन की समस्त लागत वहन की जायेगी परन्तु इस पैकेज हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क में विकासकर्ता कम्पनी को छूट देय होगी।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक नीति के अन्तर्गत स्वीकृत योजना हेतु संबंधित विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम के पक्ष में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित करते समय प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि भू–अर्जन का उक्त प्रस्ताव हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित टाउनशिप के विकास हेतु किया जा रहा है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**के0 एल0 मीना**

सचिव

**संख्या–यू0ओ0–129(1)/आठ–1–2006 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।

6– समस्त अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश।

7– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**शिव जनम चौधरी**

अनु सचिव